

Office of the Principal Swami Vivekanand Govt College
Susner Dist-Agar Malwa MP

Phone/Fax No. 07361-233449 Email ID hesvgcsusshg@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

Date: 29.04.2021

CERTIFICATE

This is certified that Scholarship and Educational incentive
Paid/Sanctioned in Year 2017-18 are below-

SN	Name of Scheme	No. of Strength	Amount in Rs.
1	POSTMATRIC SCHOLARSHIP	592	2691045
2	GAON KI BETI	188	937000
3	VIKRAMADITYA SCHEME	05	8009
4	AAWAS SAHAYATA YOJNA	160	1897000
5	Mukyamantri Meghavi Yojna	27	46294

Enclosed -

1. Sanction Order

29/4/21
PRINCIPAL

प्रिन्सिपल
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1133051/

आगर मालवा , दिनांक :-11/12/2017

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वद्यार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृति की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्त राश का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 166

कुल राश (रुपये में)

:- 664949

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अ भलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची वद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वद्यार्थी के पता/अ भभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ता क प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/ ल पक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।


संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा


प्राचार्य
स्वा. वि. शारदाजी महविद्यालय
आगर मालवा





Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1133085/

आगर मालवा , दिनांक :-11/12/2017

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश **(SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वद्यार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृति की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृति छात्रवृत्त राश का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 109

कुल राश (रुपये में)

:- 418249

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृति राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृति की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृति किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची वद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वद्यार्थी के पता/अभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लपक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



प्राचार्य
स्वा. वि. श्यामजीव महाविद्यालय



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-26/12/2017

No / PMS / OBC / 1135778/

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वद्यार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्त राश का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 46

कुल राश (रुपये में)

:- 187250

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित कया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं कया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृत कया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची वद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वद्यार्थी के पता/अ भभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापन कर लें ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेपत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/ ल पक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

प्रचार्य
Principal / Director / Dean
स्वा. वि. शांतिदास महाविद्यालय

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1140138/

आगर मालवा , दिनांक :-12/01/2018

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वया र्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्र व त रा श का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वयार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वया र्थियों को सीधे बैंक अकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 49

कुल राश (रुपये मे)

:- 204476

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित कया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजिकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमत उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासत रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अ भलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं कया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लए आवेदन स्वीकृत कया गया है, उससे पूर्व उतीर्ण कक्षा की अंकसूची वयार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वयार्थी के पता/अ भभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापत कर ले ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/ ल पक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



Page 1/12

This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-12/01/2018

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner


Designation: Assistant Director

Designation: Assistant Director

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Office of Principal / Director / Dean
Swamy Vivekanand Govt College, Susner
जिला :- आगर मालवा

[Renewal Cases]



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-26/12/2017

PMS / OBC / 1135825/

वर्ष :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वयार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्त राश का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वयार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वयार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 27

कुल राश (रुपये में)

:- 108747

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढ़ाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वयालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अ भलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की

अंकसूची वयार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वयार्थी के पता/अ भभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/तक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

सुसनेर जिला (आगर-मालवा)



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-12/01/2018

No / FMS / OBC / 1140128/

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वद्यार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्त राश का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 11

कुल राश (रुपये में)

:- 43407

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यदि स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची वद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वद्यार्थी के पता/अभभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रेषित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/ लपक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Prinicipal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

NIC

Page 1/5

This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-12/01/2018
Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Designation: Assistant Director

Designation: Assistant Director

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

Office of Principal / Director / Dean
Swamy Vivekanand Govt College, Susner
जिला :- आगर मालवा

[New Cases]

Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-12/03/2018

PMS / OBC / 1154289/

व्यय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वद्यार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृति की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृति छात्रवृत्त राश का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 3

कुल राश (रूपये में)

:- 11203

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृति राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर ही स्वीकृति की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृति किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची वद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वद्यार्थी के पता/अभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लपक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :- आगर मालवा

Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2018

No / PMS / OBC / 1147972/

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वद्यार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्त राश का भुगतान कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

:- 3872

कुल राश (रुपये मे)

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा विद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है।

यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की

अंकसूची वद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वद्यार्थी के पता/अभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्ट छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/ ल पक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
Principal / Director / Dean
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.
Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2018

No / PMS / OBC / 1147961/

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वया र्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्र व त रा श का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वयार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वया र्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 4

कुल राश (रूपये में)

:- 15836


संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित कया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अ भलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं कया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृत कया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची वयार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वयार्थी के पता/अ भभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताक प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/ ल पक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।


Principal / Director / Dean
स्वामी विवेकानंद सरकारी महाविद्यालय
Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा

Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1160117/

आगर मालवा , दिनांक :-31/03/2018

वषय :- पोस्टमैट्रिक पछड़ावर्ग छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार वद्यार्थियों की छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्त राश का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा वद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से वद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2017-18

संस्थान:- Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राश (रुपये में)

:- 4350

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राश को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्त राश का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महा वद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अ भलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

कसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्त का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्त के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची वद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

वद्यार्थी के पता/अ भभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर ले ता क प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्त के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवे षत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्त की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्त दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/ ल पक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।


Principal / Director / Dean

Swamy Vivekanand Govt College, Susner, जिला :- आगर मालवा



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1133179

आगर मालवा , दिनांक :-11/12/2017

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 46

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 121800 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 139230
कुल : 261030

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वया र्थियों के संस्था में नियत उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वया र्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वया र्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी ।

स्वा. वि. विवेकानंद - महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) व.प्र.



आगर मालवा , दिनांक :-11/12/2017

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1133187

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18
 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
 वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 42
 स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भत्ता : 151200 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 106368
 कुल : 257568

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।

2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

3. कसी भी वद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।



आगर मालवा , दिनांक :-26/12/2017

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1135774

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 15

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भत्ता : 39000 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 47782

कुल : 86782

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वया र्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वया र्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वया र्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/4

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 02/01/2018

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.





स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1135626

आगर मालवा , दिनांक :-26/12/2017

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 31

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भत्ता : 111600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 78209

कुल : 189809

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निर्मांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वया र्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वया र्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्त रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वया र्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/6

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 02/01/2018

प्राचार्य
 स्था. वि. शासकीय महाविद्यालय
 रासमेर जिला (आगर मालवा) म.प्र.



आगर मालवा , दिनांक :-12/01/2018

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1140101

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वचार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 14

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 39300

2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 41815

कुल : 81115

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वचार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वचार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्त रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वचार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/4

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 12/01/2018

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1140124

आगर मालवा , दिनांक :-12/01/2018

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 8

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 28800 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 22068
कुल : 50868

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वद्यार्थियों के संस्था में नियम उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्त रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. कसी भी वद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी |

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/4

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 12/01/2018

प्रचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय

सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1147949

आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2018

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 2700 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2882

कुल : 5582

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वया र्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वया र्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वया र्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।


प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
 सुसनेर जिला (आगर-मालवा) प.प्र.

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-ordinator

Designation: District Co-ordinator

Page 1/3

This sanction is generated by Scholarship Portal Portal No. 110212018



आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2018

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1147947

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 3600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2267

कुल : 5867

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वयार्थियों के संस्था में नियत उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वयार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वयार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College,
Susner


Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator

Page: 1/2

प्रमुख
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगरा-भारतवा) म.प्र.



आगर मालवा, दिनांक :-31/03/2018

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1160209

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृति राशियाँ वद्यार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राशि : 1. निर्वाह भत्ता : 3600

2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2267

कुल : 5867

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वद्यार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है कि संस्था प्रमुख द्वारा वद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. कसी भी वद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Requested By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal, Printed on - 31/03/2018

प्राचार्य

स्वामी विवेकानंद प्रतिभा संस्थान
सुसनेर जिला (आगर मालवा) ज.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1135624

आगर मालवा, दिनांक :-23/12/2017

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वचार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भत्ता : 2700 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 3454

कुल : 6154

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वचार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वचार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. कसी भी वचार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 02/01/2018

प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिल्हा (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1140100

आगर मालवा , दिनांक :-12/01/2018

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 2700 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 3430
कुल : 6130

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वया र्थियों के संस्था में नियत उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वया र्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वया र्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी ।



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1140098

आगर मालवा , दिनांक :-12/01/2018

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 3600 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2839
कुल : 6439

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वद्यार्थियों के संस्था में नियत उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वद्यार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्त रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वद्यार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator



Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 12/01/2018

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1158459

आगर मालवा , दिनांक :-24/03/2018

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वचार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र	: 2017-18	कुल नाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	: 1
शिक्षण संस्था	: Swamy Vivekanand Govt College, Susner		
वर्ग	: ST	स्वीकृति प्रकार	: New Cases
स्वीकृत राश	: 1. निर्वाह भत्ता : 2400	2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित	: 3454
	कुल		: 5854

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वचार्थियों के संस्था में नियत उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वचार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वचार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की संकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।


प्राचार्य
 9-स्था. वि. शासकीय महाविद्यालय
 आगर मालवा (2018)



आगर मालवा , दिनांक :-15/02/2018

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1147953

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2


स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 0

2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 2882

कुल : 2882

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वयार्थियों के संस्था में नियमत उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वयार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वयार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।


 प्राचार्य
 स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
 सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1133176

आगर मालवा , दिनांक :-11/12/2017

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वया र्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी |

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : New Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भता : 7800 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 9194

कुल : 16994

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वया र्थियों के संस्था में नियम उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी |
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वया र्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईगेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे |
3. कसी भी वया र्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा | छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण मे पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र मे संलग्न कराई जायेगी |



स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1133178

आगर मालवा , दिनांक :-11/12/2017

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वचार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भत्ता : 10800 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 6801

कुल : 17601

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वचार्थियों के संस्था में नियत उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी ।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वचार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लए व्यक्त रूप से उत्तरदायी होंगे ।
3. कसी भी वचार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा । छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकगृही छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी ।



आगर मालवा , दिनांक :-23/12/2017

स्वीकृति आदेश क्र./आ.जा.का./पी.एम.एस./1135625

वषय :- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्त के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र / छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्त स्वीकृत की जाती है। बजट आवंटन उपलब्ध होने पर योजना अंतर्गत देय निम्नानुसार वृत्तियों की स्वीकृत राश, वयार्थियों के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्सफर के द्वारा प्रदाय की जायेगी ।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18

शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3

स्वीकृत राश : 1. निर्वाह भत्ता : 10800 2. शिक्षण शुल्क सहित देय सभी Non Refundable अनिवार्य शुल्क सहित : 7301

कुल : 18101

शासकीय संस्था प्रमुख स्वीकृति के उपरांत आहरण हेतु एवं अशासकीय संस्थाओं के मामले में नोडल संस्था परीक्षण के उपरांत स्वीकृति एवं आहरण हेतु प्रस्ताव वभाग के जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे | यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

1. यह स्वीकृति वयार्थियों के संस्था में नियमित उपस्थिति (छात्रवृत्त स्वीकृति दिनांक तक न्यूनतम 75 प्रतिशत), संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासन रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं सत्रांत तक 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं रहती है, तो उन्हें स्वीकृत छात्रवृत्त रद्द की जायेगी।
2. यह स्वीकृति इस आधार पर जारी की जा रही है की संस्था प्रमुख द्वारा वयार्थियों का प्रवेश मूल टी.सी./माईग्रेशन प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है। अन्यथा की स्थिति में संस्था प्रमुख इसके लिए व्यक्तगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. कसी भी वयार्थी को एक से अधिक छात्रवृत्त का भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व भी संस्था प्रमुख का होगा। छात्रवृत्त के नवीनीकरण के प्रकरण में पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची छात्र के आवेदन पत्र में संलग्न कराई जायेगी।

Generated By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner


Locked By: Swamy Vivekanand Govt College, Susner

Designation: District Co-Ordinator

Designation: District Co-Ordinator

Page 1/3

This Sanction is generated by Scholarship Portal. Printed on 02/01/2018


स्वा. दि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1008965 Dated:13/12/2018 [Academic Year : 2017-18]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1008965

आगर मालवा , दिनांक :-13/12/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र	:	2017-18	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	GENERAL	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	37	कुल राशि (रुपयें में)	:	182500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी महाविद्यालय
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा)



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा



Sanction Order No.: 1008952 Dated:13/12/2018 [Academic Year : 2017-18]

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1008952

आगर मालवा , दिनांक :-13/12/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भूगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2017-18	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	126	कुल राशि (रुपयें में)	:	624500

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भूगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

स्वीकृतकर्ता एवं पदमूद्रा
स्वा. वि. शशिनी महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा)



Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1008950 Dated:13/12/2018 [Academic Year : 2017-18]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1008950

आगर मालवा , दिनांक :-13/12/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2017-18	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	22	कुल राशि (रुपयें में)	:	110000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

NIC

Page 1/5

This Sanction order is generated by Scholarship Portal. Printed on -Date-27/04/2021

हस्ताक्षर एवं प्रामुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा
स्वा. वि. शासकीय कोषालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

scholarshipportal.mp.nic.in

Swamy Vivekanand Govt College, Susner

जिला :आगर मालवा

Sanction Order No.: 1008949 Dated:13/12/2018 [Academic Year : 2017-18]



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1008949

आगर मालवा , दिनांक :-13/12/2018

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

शैक्षणिक सत्र	:	2017-18	शिक्षण संस्था	:	Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	3	कुल राशि (रुपयें में)	:	15000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

हस्ताक्षर एवं मुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-आगर मालवा
स्वा. वि. शासकीय विद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र



शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर, जिला-आगर मालवा (म.प्र.)

फोन/फैक्स-07361-233449 Email-hesvgcsussh@mp.gov.in/guptagirish1211@gmail.com

क्र. /2017

सुसनेर दिनांक

49
14.12.17

कार्यालयीन आदेश

महाविद्यालय में सत्र 2017-18 में अध्ययनरत् नवीन/नवीनीकरण विक्रमादित्य योजना के सामान्य वर्ग के छात्र की छात्रवृत्ति संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत की जाकर राशि रुपये 8009/- (आठ हजार नौ रुपये) उपकोषालय से आहरित कर संबंधित छात्रो को भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

49
14.12.17

071

(डॉ. जी. सी. गुप्ता)
प्रभारी प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर मालवा)

सुसनेर दिनांक

पृ. क्रं.
प्रतिलिपि:-

1. उपकोषालय अधिकारी सुसनेर।
2. लेखापाल शासकीय महाविद्यालय सुसनेर।

071

(डॉ. जी. सी. गुप्ता)
प्रभारी प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर मालवा)

म.प्र.

Mobile No
97521854
81203384
84353159
99933614
77479068



Sanction Order : 110368 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./110368

AGAR MALWA, दिनांक :-28/12/2017

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 37 कुल राशि (रुपयें में) : 433000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 110535 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./110535

AGAR MALWA, दिनांक :-30/12/2017

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 39 कुल राशि (रुपयें में) : 468000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विध्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला AGAR MALWA

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 110541 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./110541

AGAR MALWA, दिनांक :-30/12/2017

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 31 कुल राशि (रुपयें में) : 362000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विध्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।



हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
प्राचार्य
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 110390 For Academic Year : 2017-18

[Renewal Cases]

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./110390

AGAR MALWA, दिनांक :-28/12/2017

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 31 कुल राशि (रुपये में) : 372000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहे, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृति अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 111039 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./111039

AGAR MALWA, दिनांक :-11/01/2018

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awasa Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2 कुल राशि (रुपयें में) : 24000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।



हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मलवा) म.प्र.



Sanction Order : 111040 For Academic Year : 2017-18

[Renewal Cases]

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./111040

AGAR MALWA, दिनांक :-11/01/2018

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृत अधिकारी, जिला:-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 114193 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-15/02/2018

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./114193

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000


प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विध्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 111093 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-12/01/2018

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./111093

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परिक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुस्नेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 111094 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-12/01/2018

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./111094

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000

प्रमाणित किया जाता है कि :-


1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, AGAR MALWA

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 114154 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-15/02/2018

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./114154

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : SC स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2 कुल राशि (रुपयें में) : 24000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वी. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 110364 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./110364

AGAR MALWA, दिनांक :-28/12/2017

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awat Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner

वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3 कुल राशि (रुपयें में) : 35000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहेने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विध्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./110365

AGAR MALWA, दिनांक :-28/12/2017

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3 कुल राशि (रुपयें में) : 36000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययन संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (अमर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 110524 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./110524

AGAR MALWA, दिनांक :-30/12/2017

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner


वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 3 कुल राशि (रुपयें में) : 36000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विध्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विध्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विध्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्ही भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।



हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 111042 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-11/01/2018

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./111042

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान,कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Renewal Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 12000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
प्राचार्य
स्वीकृति अधिकारी, जिला-AGAR MALWA
संयोजक, शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.



Sanction Order : 114158 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-15/02/2018

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./114158

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awass Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 2 कुल राशि (रुपयें में) : 24000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।


हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला AGAR MALWA

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) प ९



Sanction Order : 116396 For Academic Year : 2017-18

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवास सहायता स्वीकृति आदेश

AGAR MALWA, दिनांक :-24/03/2018

क्रमांक/अ.ज./आ.जा.का./पी.एम.एस./116396

विषय :- आवास सहायता के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (Awas Sahayata Sanction Order)

आवास सहायता नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों/जानकारी के आधार पर संलग्न सूची अनुसार छात्र/छात्राओं को आवास सहायता स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान, कार्यालय सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा कोषालय के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र : 2017-18 शिक्षण संस्था : Swamy Vivekanand Govt College, Susner
वर्ग : ST स्वीकृति प्रकार : Fresh Cases
कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या : 1 कुल राशि (रुपयें में) : 11000

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं किराये के आवास में रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर जारी की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा विद्यार्थी से आवास सहायता की वसूली की जावेगी।
2. विद्यार्थी द्वारा अपलोड किये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी छात्र/छात्राओं को दोहरी आवास सहायता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
4. किसी भी गैर- स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. विद्यार्थी के मूल निवास तथा किराये के निवास की जानकारी का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसे किन्हीं भी छात्र/छात्राओं को आवास सहायता नहीं दी जा रही है जिनके मूल निवास तथा अध्ययनरत संस्था एक ही स्थानीय निकाय एवं मूल निवास तथा किराये से निवासरत मकान एक ही निकाय में है।
6. शासकीय छात्रावास में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को आवास सहायता की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकृती अधिकारी, जिला:-AGAR MALWA
स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.

कार्यालय प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय, सुसनेर जिला आगर-मालवा:

सुसनेर, दिनांक 29/10/2018

॥प्रमाण पत्र॥

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 27 विद्यार्थियों को प्रवेश के समय 46294 रुपये प्रवेश शुल्क में छूट दी गई थी। उक्त 46294 रुपये की राशि प्रतिपूर्ति से प्राप्त हो चुकी है। दोनों राशि का मिलान हो चुका है। कोई अंतर नहीं है।

(डॉ० जी०सी० गुप्ता)
प्राचार्य

स्वा०वि०शास०महा०सुसनेर
प्राचार्य

स्वा. वि. शासकीय महाविद्यालय
सुसनेर जिला (आगर-मालवा) म.प्र.